

**पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन****डॉ० गोविन्द कुमार रोहित<sup>1</sup>**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19054349>**Review: 06/12/2025****Acceptance: 07/12/2025****Publication: 30/12/2025**

**सारांश-** राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी लोकतांत्रिक विकास और लैंगिक समानता का एक महत्वपूर्ण सूचक है। भारत में, पंचायती राज व्यवस्था ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और समावेशी शासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लागू होने से पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करके महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस सुधार ने लाखों ग्रामीण महिलाओं को राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के अवसर प्रदान किए। यह अध्ययन पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करता है। यह स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी के ऐतिहासिक विकास, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए संवैधानिक प्रावधानों और ग्रामीण विकास पर महिला नेताओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है। यह अध्ययन महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के महत्व को समझने के लिए नारीवादी सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकार्यवाद और संघर्ष सिद्धांत जैसे समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का भी अध्ययन करता है। इसके अलावा, लेख में बिहार, राजस्थान और केरल सहित विभिन्न राज्यों की उपलब्धियों और केस स्टडीज़ पर प्रकाश डाला गया है, जहाँ महिला नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सकारात्मक विकासों के बावजूद, महिला प्रतिनिधियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाएं, परोक्ष नेतृत्व, शिक्षा की कमी और प्रशिक्षण तक सीमित पहुंच शामिल हैं। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और सतत ग्रामीण विकास प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना आवश्यक है। जमीनी स्तर पर शासन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनकी सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम, नीतिगत समर्थन और सामाजिक जागरूकता आवश्यक हैं।

**शब्द कुंजिका-** महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज, जमीनी स्तर का लोकतंत्र, लैंगिक समानता, ग्रामीण शासन, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक भागीदारी

<sup>1</sup>सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामबाग झारखण्ड, भारत, [govindkmg@gmail.com](mailto:govindkmg@gmail.com)

**परिचय-** भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर के शासन की नींव है। यह ग्रामीण समुदायों को स्थानीय विकास और शासन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है। इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक बन गई है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय समाज में महिलाओं को पितृसत्तात्मक परंपराओं, सामाजिक मानदंडों और शिक्षा तक सीमित पहुंच के कारण राजनीतिक निर्णय लेने से बाहर रखा गया था। उनकी भूमिकाएं मुख्य रूप से घरेलू जिम्मेदारियों तक ही सीमित थीं। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाने से महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के अवसर मिले। 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लागू होने के साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया और स्थानीय शासन संस्थाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीं। परिणामस्वरूप, लाखों महिलाओं ने पहली बार राजनीति में प्रवेश किया और स्थानीय शासन में भाग लेना शुरू किया। समाजशास्त्रीय दृष्टि से, पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। यह पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देती है और महिलाओं के सशक्तिकरण, नेतृत्व और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देती है।

**भारत में पंचायती राज व्यवस्था-** पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में तीन स्तरों पर संचालित होने वाली एक विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य विकास नियोजन और शासन में स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देना है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना में शामिल हैं:

**ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर)-** यह स्थानीय शासन की मूल इकाई है। इसके सदस्य ग्रामीणों द्वारा सीधे चुने जाते हैं।

**पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर)-** यह ब्लॉक स्तर पर विकास गतिविधियों का समन्वय करती है और ग्राम पंचायतों का पर्यवेक्षण करती है।

**जिला परिषद (जिला स्तर)-** यह जिला स्तर पर कार्य करती है और विकास नियोजन और कार्यान्वयन की देखरेख करती है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य कई लक्ष्यों को प्राप्त करना है:-

- सत्ता का विकेंद्रीकरण
- लोकतांत्रिक भागीदारी
- विकास कार्यक्रमों का कुशल कार्यान्वयन
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना

इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है क्योंकि वे लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामुदायिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रखती हैं।

**शासन में महिलाओं की भागीदारी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-** भारत में शासन में महिलाओं की भागीदारी समय के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुज़री है। प्राचीन भारतीय समाज में, राजपरिवारों से संबंधित कुछ महिलाओं का

प्रशासनिक मामलों में प्रभाव था। हालाँकि, अधिकांश महिलाएं सार्वजनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर थीं। मध्ययुग में, सामाजिक प्रतिबंधों ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को और सीमित कर दिया। ग्राम परिषदों और शासन संस्थाओं पर पुरुषों का वर्चस्व था। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की शुरुआत हुई। हालाँकि, सामाजिक बाधाओं और राजनीतिक अधिकारों के अभाव के कारण महिलाएं काफी हद तक हाशिए पर रहीं। 1947 में स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान ने पुरुषों और महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए। महिलाओं को मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। इन संवैधानिक गारंटियों के बावजूद, राजनीति में उनकी भागीदारी कई दशकों तक सीमित रही। कई समितियों ने स्थानीय शासन संस्थाओं को मजबूत करने की सिफारिश की। इनमें बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और एल.एम. सिंहवी समिति शामिल थीं। उनकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप अंततः संवैधानिक सुधारों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई।

**अध्ययन के उद्देश्य-** इस अध्ययन का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका और महत्व का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करना है। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- ग्रामीण शासन में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करना।
- ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के प्रभाव का विश्लेषण करना।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले समाजशास्त्रीय कारकों को समझना।
- नेतृत्व की भूमिका निभाने में महिला प्रतिनिधियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और बाधाओं का अध्ययन करना।
- जमीनी स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में आरक्षण नीतियों के योगदान का मूल्यांकन करना।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और प्रभावशीलता को मजबूत करने के उपाय सुझाना।

**अनुसंधान पद्धति-** अनुसंधान पद्धति से तात्पर्य किसी अध्ययन को संचालित करने और अनुसंधान समस्या का विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाने वाली व्यवस्थित प्रक्रियाओं से है। यह अध्ययन पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को समझने के लिए गुणात्मक और वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति को अपनाता है।

**पंचायती राज में महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान-** 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय स्वशासन को काफी मजबूत किया और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया। इस संशोधन के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना।

- अध्यक्ष पदों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करना।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण।
- पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित करना।
- पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोगों की स्थापना करना।

बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों ने महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है, जिससे स्थानीय शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ गया है।

## महिलाओं की भागीदारी पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य-

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के माध्यम से किया जा सकता है।

**नारीवादी सिद्धांत-** नारीवादी सिद्धांत लैंगिक समानता और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर बल देता है। नारीवादी विद्वानों के अनुसार, राजनीतिक भागीदारी महिलाओं को सशक्त बनाने और शासन में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। पंचायती राज में महिला प्रतिनिधि अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और महिलाओं के अधिकारों जैसे सामाजिक कल्याण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उनकी भागीदारी उन लैंगिक विशिष्ट चिंताओं को दूर करने में सहायक होती है जिन्हें पहले उपेक्षित किया जाता था।

**संरचनात्मक प्रकार्यवाद-** संरचनात्मक प्रकार्यवाद समाज को परस्पर जुड़ी संस्थाओं की एक प्रणाली के रूप में देखता है जो स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम करती हैं। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण शासन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं की भागीदारी सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता में सुधार करके और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर इन संस्थाओं को मजबूत बनाती है।

**संघर्ष सिद्धांत-** संघर्ष सिद्धांत विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता और संसाधनों के लिए होने वाले संघर्ष पर बल देता है। ऐतिहासिक रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक सत्ता पर पुरुषों का वर्चस्व रहा है। महिलाओं के लिए आरक्षण नीतियां राजनीतिक सत्ता के पुनर्वितरण और लैंगिक असमानता को कम करने का एक प्रयास है।

**सामर्थ्य दृष्टिकोण-** अर्थशास्त्री और सामाजिक सिद्धांतकार अमर्त्य सेन का सामर्थ्य दृष्टिकोण लोगों के अवसरों और स्वतंत्रता के विस्तार के महत्व पर बल देता है। पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी उन्हें शासन, निर्णय लेने और विकास नियोजन में भाग लेने में सक्षम बनाकर उनकी क्षमताओं को बढ़ाती है।

**पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका-** ग्रामीण शासन में महिला प्रतिनिधि कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती हैं।

**सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना-** महिला नेता अक्सर स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और बाल देखभाल से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देती हैं।

**शिक्षा में सुधार-** महिला प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती हैं।

**ग्रामीण विकास-** महिला नेता आवास कार्यक्रम, रोजगार योजनाएँ और अवसंरचना विकास जैसी ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में भाग लेती हैं।

**महिला सशक्तिकरण-** महिला नेता आदर्श के रूप में कार्य करती हैं और अन्य महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

**सामाजिक मुद्दों का समाधान-** महिला प्रतिनिधि अक्सर बाल विवाह, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए काम करती हैं।

**महिला नेतृत्व के उदाहरण-**

**बिहार-** बिहार ने 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। इस नीति से ग्रामीण शासन में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

**राजस्थान-** राजस्थान में महिला सरपंचों ने जल संरक्षण, स्वच्छता कार्यक्रमों और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

**केरल-** केरल में एक मजबूत विकेंद्रीकृत योजना प्रणाली है, जहां महिला प्रतिनिधि विकास योजना और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं।

**पंचायती राज में महिलाओं की उपलब्धियाँ-**

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं:-

- जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का विस्तार
- सामाजिक कल्याण और मानव विकास पर बढ़ा हुआ ध्यान
- बेहतर शासन और पारदर्शिता
- महिलाओं के अधिकारों के प्रति बढ़ी हुई जागरूकता
- ग्रामीण समाज में महिला नेतृत्व का विकास

**महिला प्रतिनिधियों के सामने चुनौतियाँ**

इन उपलब्धियों के बावजूद, महिला नेताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:-

- पितृसत्तात्मक सामाजिक सोच
- पुरुष रिश्तेदारों द्वारा परोक्ष प्रतिनिधित्व
- सीमित शिक्षा और प्रशिक्षण

- आर्थिक निर्भरता
- प्रशासनिक अनुभव का अभाव

ये चुनौतियाँ अक्सर महिलाओं की स्वतंत्र नेतृत्व क्षमता को सीमित करती हैं।

### महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने की रणनीतियाँ-

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं:-

- नेतृत्व और शासन प्रशिक्षण प्रदान करना
- महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता में सुधार करना
- महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना
- सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना
- महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए नीतिगत समर्थन को मजबूत करना।

**ग्रामीण समाज पर महिलाओं की भागीदारी का प्रभाव-** पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी का ग्रामीण समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

**लैंगिक भूमिकाओं में बदलाव-** महिला नेता पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देती हैं और यह दर्शाती हैं कि महिलाएं शासन में प्रभावी ढंग से भाग ले सकती हैं।

**मानव विकास पर अधिक ध्यान-** महिला प्रतिनिधि अक्सर स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे मानव विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं।

**सामुदायिक भागीदारी-** महिला नेता निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हाशिए पर पड़े समूहों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं।

**लोकतंत्र को मजबूत करना-** महिला भागीदारी शासन को अधिक समावेशी बनाकर जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करती है।

**ग्रामीण भारत से उदाहरण-** ग्रामीण भारत के कई उदाहरण महिला नेताओं के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं। कई गांवों में, महिला पंचायत नेताओं ने स्वच्छता कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया है, स्कूलों की सुविधाओं में सुधार किया है और पीने के पानी की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित की है। बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में, महिलाओं के लिए आरक्षण को 50% तक बढ़ाने से स्थानीय शासन में महिलाओं के नेतृत्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जब महिलाओं को अवसर और समर्थन दिया जाता है, तो वे सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी वाहक बन सकती हैं।

**निष्कर्ष-** पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू आरक्षण नीति ने लाखों महिलाओं

को राजनीतिक संस्थाओं में प्रवेश करने और शासन में भाग लेने में सक्षम बनाया है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण की व्यापक प्रक्रियाओं को दर्शाती है। महिला नेताओं ने ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक भागीदारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, पितृसत्तात्मक सोच, शिक्षा की कमी और परोक्ष प्रतिनिधित्व जैसी चुनौतियां महिला नेताओं की पूर्ण क्षमता को सीमित करती रहती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, नीतिगत समर्थन और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने से न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, बल्कि समावेशी विकास और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में भी योगदान मिलेगा।

## संदर्भ-

- अग्रवाल, बी. (1994). अपना क्षेत्र: दक्षिण एशिया में लिंग और भूमि अधिकार। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
- बाविस्कर, बी. एस., और मैथ्यू, जी. (2009). स्थानीय शासन में समावेशन और अपवर्जन। सेज पब्लिकेशन्स।
- चट्टोपाध्याय, आर., और डुफ्लो, ई. (2004). नीति निर्माता के रूप में महिलाएं: भारत में एक यादृच्छिक नीति प्रयोग से साक्ष्य। इकोनोमेट्रिका, 72(5), 1409-1443।
- कॉर्नवाल, ए., और गोटज़, ए. एम. (2005). लोकतंत्र का लोकतंत्रीकरण: नारीवादी परिप्रेक्ष्य। लोकतंत्रीकरण, 12(5), 783-800।
- देसाई, एन., और ठक्कर, यू. (2001). भारतीय समाज में महिलाएं। राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट।
- भारत सरकार। (1992)। 73<sup>वां</sup> संवैधानिक संशोधन अधिनियम। नई दिल्ली।
- झा, एस. (2004). पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 39 (18), 1827-1833।
- मैथ्यू, जी. (2003). भारत में पंचायती राज की स्थिति। सामाजिक विज्ञान संस्थान।
- नुस्बाम, एम. (2000). महिलाएं और मानव विकास। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
- सेन, ए. (1999). विकास एक स्वतंत्रता के रूप में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।